सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा
132/2020

दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में भू-जल विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक प.12(6)भूजल/2009 पार्ट दिनांक 02.12.2020 पर विचार-विमर्श कर राज्य में भू-जल दोहन संबंधी नवीन व्यवस्था/दिशा निर्देश संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

शासन सचिव
भू-जल विभाग।

डी. 132/मं.मं./2020
जयपुर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020

(340)

राजस्थान सरकार
भू-जल विभाग

प्रति संख्या

क्रमांक:-प 12(6)भूजल/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक: 02.12.2020
07

मंत्रिमण्डल ज्ञापन

विषय:-राज्य मे भू-जल दोहन संबंधी नवीन व्यवस्था/दिशा निर्देश

1. राज्य में भू-जल संसाधन का आकलन सर्वे, दोहन की मोनेटरिंग एंव प्रबन्धन हेतु वर्ष 1956 मे भूजल विभाग का गठन किया गया। भू-जल विभाग द्वारा भूजल की उपलब्धता हेतु दी गई अभिशंषा अनुसार PHED विभाग द्वारा पेयजल योजनायें बनाई जाती हैं।

2. राज्य मे भूजल दोहन मुख्यत: कृषि उपयोग हेतु किया जा रहा है जो कुल दोहन का लगभग 85 प्रतिशत है। राज्य मे भूजल दोहन आकँलन भारत सरकार की (Ground water estimation committee 2015) Guideline के अनुसार किया जाता है। नवीनतम भूजल आकलन रिपोर्ट दिनांक 31.03.2020 के अनुसार राज्य मे 185 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी मै, 33 ब्लॉक विषम, 29 ब्लॉक अर्धविषम व शेष 45 ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का गठन भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर 14 जनवरी 1997 की अधिसूचना सं.का.आ. 38 (अ) के माध्यम से किया गया।

4. राज्य में भूजल निष्कासन हेतु स्वयं का अधिनियम/अथोरिटी रेगुलेटरी सिस्टम नही है अत: भारत सरकार के केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य में भूजल दोहन की स्वीकृतियां सक्षम स्तर से जारी की जाती रही हैं। अभी तक केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशा-निर्देश (16.11.2015) के अनुसार सक्षम स्तर से एनओसी जारी की जाती रही हैं।

5. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा केन्द्रिय भूजल प्राधिकरण को पूर्व मे जारी दिशा-निर्देशो की समीक्षा कर पुन: जारी करने के निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में समीक्षा उपरान्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के द्वारा प्रदत्त निर्देशो की पालना करते हुये जल शक्ति मत्रांलय द्वारा दिनांक 24.09.2020 (परिशिष्ठ 'अ') को राजपत्र में प्रकाशित कर नवीन दिशा-निर्देश लागू किये गये हैं। केन्द्रिय भूजल अथोरिटी द्वारा भूजल दोहन संबंधी नवीनतम दिशा निर्देश जारी किये गये। इस क्रम मे राज्य मे भी भूजल विभाग द्वारा 12.11.2020 (परिशिष्ठ 'ब') को कार्यालय आदेश जारी कर केन्द्रिय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशो के दिशा अनुरूप सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया हैं।

6. नवीनतम Guideline अनुसार निम्न श्रेणियो में भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने की पूर्णत: छूट दी गई है, जिससे आमजन तथा कृषक वर्ग को बड़ी राहत मिली हैं।

एनओसी प्राप्त करने से पूर्णरूपेण निम्न श्रेणी को मुक्त किया गया हैं:-

1. पेयजल व घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता।
2. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमें।
3. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठान और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल।
4. कृषि कार्यकलाप।
5. 10 सी यू एम/ दिन से कम भूजल का आहरण करने वाले माइक्रो और स्माल उद्योग (MSME)

7. नवीन मार्गदर्शिका में घरेलू व्यक्तिगत उपभोक्ता/कृषकों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एनओसी प्राप्त करने से पूर्णतया छुट मिल गई हैं। अब किसान स्वयं की कृषि भूमि पर कृषि हेतु भू-जल का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर पायेगा तथा विद्युत विभाग से कृषि जोत के लिय कनेक्शन लिये जाने मे आसानी होगी इसका सीधा लाभ राज्य के कृषि क्षेत्र को होगा।